न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 431–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 744/अपील/2012–13.

—

हरिबगस आ0श्री प्रभूलाल
निवासी ग्राम कड़िया मित्रसेन
तह0नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

1–प्रेमनारायण शिवहरे आ0 श्री हजारीलाल शिवहरे
निवासी सुभाष चौक नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
2–श्रीमति कल्पना पत्नि श्री रामलाल
निवासी म0नं0 20 सुविध विहार संतआशाराम चौराहा के पास,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 31–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम कड़िया मित्रसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 364/2 रकबा 1.012 हेक्टेयर पर नामान्तरण हेतु आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–6/2007–08 दर्ज कर दिनांक 26–8–2008 को आदेश पारित कर नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–4–2009 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–12–2009 को आदेश पारित कर यह ठहराते हुये कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, किन्तु तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर कोई जॉच नहीं की गई है कि भूमि शासकीय होने पर और आवेदक द्वारा चौकीदारी की सेवा भूमि होने के उपरांत भी उसके नाम कैसे आयी । उपरोक्त बिन्दु पर जॉच हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 1–7–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–4–12 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि राजस्व मण्डल द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को यथावत् रखा गया है इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है और पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि सेवा भूमि नहीं रही है, प्रकरण समाप्त किया गया है । तहसीलदार के आदेश के दिनांक 5–4–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–4–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुये यह निष्कर्ष निकाला जाकर कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9–12–2009 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होने पर आवेदक के द्वारा चौकीदारी की सेवा भूमि होने के उपरांत भी उसके नाम कैसे आयी और न ही इस तथ्य की जॉच की गई है कि अनावेदिका कमांक 2 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय होकर नामान्तरित हुई । उपरोक्त जॉच कर पृथक से जॉच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी

के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2014 को आदेश पारित किया जाकर अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एवं अनावेदक कमांक 1 को पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार सहित इस न्यायालय से लगभग 6 से भी अधिक आदेश आवेदक के पक्ष में हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की भूमि है और बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का दो बार विकय हो चुका है और प्रथम केता के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, अतः दूसरा नामान्तरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की बताई जा रही है जबकि वह भूमि सेवा भूमि है । यह भी कहा गया कि उपरोक्त भूमि दो बार विकय हो चुका है, तब आवेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है। यह भी कहा गया कि वर्ष 1953 में जब संहिता अस्तित्व में नहीं थी । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पिता का नाम पक्के कृषक के रूप में दर्ज था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि

वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं रही है और यदि विकय पत्र धोखे से निष्पादित कराया गया था तो आवेदक द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं कराया गया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–8–2008 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपर आयुक्त द्वारा यह ठहराते हुये कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु इस बिन्दु पर कोई जॉच नहीं की गई है कि भूमि शासकीय होकर सेवा भूमि होने के उपरांत भी अनावेदक कमांक 1 के पास कैसे आई और अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1–7–2011 को आदेश पारित कर की गई है । इस प्रकार राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में ही प्रश्नाधीन भूमि को सेवा भूमि मान्य कर लिया गया है अतः दुबारा इसी बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में जहॉ अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, वहीं इस न्यायालय के आदेश के विपरीत कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमि उसके नाम पर किस आदेश से और कैसे आई है ? अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यक है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को निर्देश दिये जायें कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज की जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 31–12–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर